बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०स० :–3/अ०प्र०–1–118/2013 1202 /पटना, दिनांक :– 2.9.21

श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा ने कार्यालय आदेश संख्या–21 सह–पठित ज्ञापांक–993 दिनांक 28.05.2020 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 25.06.2020 दायर किया गया है।

2. श्री गुप्ता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड में एकंगरसराय रोड से रसीसा (BR-24R-025) पथ में बरती गयी अनियमितता के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3 के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2014 के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–173 सह–पठित ज्ञापांक–2411 दिनांक 29.07.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री गुप्ता के दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक–2317 दिनांक 16.08.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1329 अनु0 दिनांक 11.02.2019 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री गुप्ता से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। तदालोक में श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये कार्यालय आदेश संख्या–21 सह–पठित ज्ञापांक–993 दिनांक 28.05.2020 द्वारा इनके पेंशन से अगले 05 (पॉच) वर्षों तक 25 (पच्चीस) प्रतिशत की कटौती का दंड अधिरोपित किया गया है।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री गुप्ता के पत्रांक शून्य दिनांक 25.06.2020 द्वारा समर्पित प्रश्नगत् पुनर्विलोकन अर्जी में मूलतः यह कहा गया है कि एस0क्यू0एम0 द्वारा दिनांक 27.08.2013 एवं दिनांक 27.06.2014 को किये गये निरीक्षणों में बिटुमिन कार्यो को 20mm Thickness के साथ संतोषजनक बताया गया है। इस आधार पर इनके द्वारा उल्लेखित है कि ऐसा तभी संभव होता है जब एस0क्यू0एम0 द्वारा जॉच के क्रम में किये गये कार्य को प्राक्कलन एवं एग्रीमेन्ट के विशिष्टि के अनुरूप एवं संतोषजनक पाया जाता है। विभाग द्वारा कराये गये जॉच में जॉच पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3) के जॉच प्रतिवेदन एवं एस0क्यू0एम0 के जॉच प्रतिवेदन में विरोधाभाष होने के आलोक में अधीक्षण अभियंता, गुणवता प्रबंधन द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग तीन वर्ष बाद भी किये गये निरीक्षण में आरोप को अप्रमाणित पाये जाने के आलोक में श्री गुप्ता द्वारा कहा गया है कि उनके उपर अधिरोपित एवं संसूचित दंड निराधार है। श्री गुप्ता द्वारा इसके अतिरिक्त MORD के सुसंगत प्रावधान का उल्लेख करते हुए Permissible Limit ± 6मी0मी0 मान्य होने का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी का मंतव्य तकनीकी दृष्टिकोण से उचित एवं व्यवहारिक नहीं होने का उल्लेख करते हुए जॉच पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3) द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवदन दिनांक 07.04.2014 के आधार पर उन्हें दंडित किया जाना गलत एवं पक्षपातपूर्ण बताया गया है।

4. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उल्लेखित तथ्यों एवं संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि श्री गुप्ता द्वारा आलोच्य पथ के

hone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

तकनीकी तथ्यों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव बयान को ही पुनर्विलोकन अर्जी में दोहराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर तकनीकी दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त ही श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

प्रश्नगत् अपील/पुनर्विलोकन अर्जी का बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–27(2) के तहत विचारण से यह स्पष्ट है कि श्री गुप्ता, कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को अधिरोपित/संसूचित दंड संदर्भित नियमावली, 2005 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर दिया गया है एवं निष्कर्ष अभिलेख पर रखे साक्ष्य समर्थित है। अधिरोपित शास्ति उचित है। अतएव प्रश्नगत् दंडादेश पर पुनर्विचार का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

5. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या–21 सह–पठित ज्ञापांक–993 दिनांक 28.05.2020 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को यथावत रखते हुए इनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 25.06.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

6. प्रस्ताव में अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

26/8/2021

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–118/2013 1202 /पटना, दिनांक :– 2-9-21

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/नालंदा/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर/हिलसा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– ग्राम–चट्टी रोड, पोस्ट+जिला–बेगूसराय, पिन कोड–851101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2021

विशेष सचिव